राजस्थान सरकार

स्वायत शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी–3, राजमहल रेसीडेन्शिल ऐरिया, सिविल लाइन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकः– प.55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2018/27526-529 दिनांक 5/04/18

प्रशासनिक स्वीकृति

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण में शामिल राज्य के 191 शहरों में से 163(113+40+9+1) शहरों के लिए जारी की गयी प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/15328–15571 दिनांक 18.10.17, क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/4590–4834 दिनांक 26.10.17 एवं क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2017/24741 दिनांक 27.11.17 एवं क्रमांक सीई/डीएलबी/एमजेएसए फेज II/2018/8661 दिनांक 12.02.18 की निरन्तरता में उपरोक्त 163 शहरों में शामिल 33 शहरों व अतिरिक्त 4 शहरों (बांरा, छबड़ा, पाली एवं सुमेरपुर) में निम्न प्रकार के कार्य निम्नानुसार आवंटित राशि तक करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

S. No.	Town Name	DISTRICT Name	AFFORESTATION			IEC (Rs in Lakhs)	Contingency (Rs in Lakhs)	Total Amount with contigency (Rs in Lakhs)
			Area (Ha)	No of plants	Cost (Rs in Lakhs)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laxmangarh	Sikar	15.00	3750	33.33	0.00	1.67	35.00
2	Fatehpur		11.00	2750	26.45	0.00	1.32	27.77
3	Sri madhopur		10.00	2500	21.51	0.00	1.08	22.59
4	Losal		10.00	2500	21.90	0.00	1.10	23.00
5	Ramgarh Shekhawati		1.00	250	4.15	0.00	0.21	4.36
6	Neemka thana		0.75	200	3.90	0.00	0.20	4.10
7	Bhilwara	Bhilwara	10.00	2500	18.62	0.00	0.93	19.55
8	Anta	Baran	3.15	788	8.70	0.00	0.44	9.14
9	Baran		7.90	1976	16.88	3.00	0.99	20.87
10	Chabra		9.00	2250	17.94	2.00	1.00	20.94
11	Todabhim	Karauli	5.00	1250	11.88	0.00	0.59	12.47
12	Nawa city	Nagaur	0.60	150	4.12	0.00	0.21	4.33
13	Degana		2.00	500	7.02	0.00	0.35	7.37
14	Rajaldesher	Churu	5.00	1250	12.08	0.00	0.60	12.68
15	Ratannagar		2.00	500	6.92	0.00	0.35	7.27
16	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	10.00	2500	20.40	0.00	1.02	21.42
17	Mahwa	Dausa	1.50	375	5.44	0.00	0.27	5.71
18	Bandikui		8.00	2000	16.70	0.00	0.84	17.54
19	Ramganjmandi	Kota	2.39	598	7.20	0.00	0.36	7.56

PTO

20	Itawa		2.00	500	6.68	0.00	0.33	7.01
21	Blasau	Jhunjhunu	2.00	500	7.01	0.00	0.35	7.36
22	Bogar		1.00	250	5.23	0.00	0.26	5.49
23	Vidya vihar		1.00	250	5.23	0.00	0.26	5.49
24	Surajgarh		1.00	250	4.41	0.00	0.22	4.63
25	Mukundgarh		2.00	500	7.01	0.00	0.35	7.36
26	Nawalgarh		1.00	250	5.23	0.00	0.26	5.49
27	Pali	Pali	20.00	5000	30.22	3.00	1.66	34.88
28	Sumerpur		5.00	1250	10.91	2.00	0.65	13.56
29	Sojat		5.00	1250	10.91	0.00	0.55	11.46
30	Rani		4.00	1000	9.12	0.00	0.46	9.58
31	Falna		5.00	1250	10.91	0.00	0.55	11.46
32	Phulera	Jaipur	1.00	250	5.13	0.00	0.26	5.39
33	Kishangarh renwal		2.00	500	5.23	0.00	0.26	5.49
34	Jobner		1.20	300	4.12	0.00	0.21	4.33
35	Chaksu		4.00	1000	10.05	0.00	0.50	10.55
36	Kotputli		8.00	2000	16.16	0.00	0.81	16.97
37	Shahpura		2.00	500	7.40	0.00	0.37	7.77
Total			**181.49**	**45387**	**426.10**	**10.00**	**21.81**	**457.91**

नोट:–

1. उपरोक्त कार्य आवंटित राशि तक की सीमा में ही करवाये जावें।
2. उक्त कार्यो की वितीय स्वीकृति सम्बधित जिला कलक्टर द्वारा जारी की जावेगी।
3. उक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवाये जाने के उपरान्त कार्य करवाये जावें।
4. कार्य के एवज में भुगतान सम्बधित जिला कलक्टर के अनुमोदन के बाद किया जावे।
5. कार्य करवाते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करेगें।
7. कार्यो के सम्बध में समय–समय पर योजनान्तर्गत जारी किए गए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:–प.55/सीई/डीएलबी/एमजेएसए.फेजII/2018/27-526-538 दिनांक 05/04/18

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।

4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग राजस्थान,जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, जयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर।
7. हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स (HoFF), अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-संरक्षण), अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक (बनास), अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, सीकर/जयपुर/भीलवाडा/ बांरा/ करौली/ नागौर / चूरू / सवाई माधोपुर/दौसा/कोटा/झुन्झुनू/पाली/जयपुर।
11. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
13. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका लक्ष्मनगढ, फतेहपुर, श्रीमाधोपुर, लोसल, रामगढ शेखावाटी, नीम का थाना, कोटपुतली, भीलवाड़ा, अन्ता, बांरा, छपरा, टोड़ाभीम, नवां सिटी, डेगाना, राजसमन्द, रतननगर, सवाईमाधोपुर, महवा, बांदीकुई, रामगंजमंडी, इटावा, बिसाउ, शाहपुरा, बांरा, विद्याविहार (झुंझुनू), सूरजगढ़, मुकन्दगढ़, नवलगढ़, पाली, सुमेरपुर, सोजत, रानी, फालना, फुलेरा, किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, चाकसू ।
14. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ निदेशालय।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता